निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 27/अपील/21

तारीख दायरा: 06.08.2021

दिलीप कुमार पुत्र अमोलकचन्द जैन
डीलर सरखेड़ी ।। उचित मूल्य दुकानदार (अपीलान्ट)
बनाम
राजस्थान राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड

अपील बनाराजी निर्णय जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ दिनांक 17.02.2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 44/2020

उपस्थित:- श्री बच्चूलाल, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

-: निर्णय :-

दिनांक: 07.12.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के प्राधिकार पत्र निरस्तगी के आदेश कमांक: 44/2020/दिनांक 17.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित किया है कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान सरखेड़ी ।। का डीलर है। जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का अवलोकन किये व निर्णय में उल्लेख किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 17.02.2021 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कानून न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अटेचमेन्ट डीलर को खाद्य सामग्री जमा करादी है इससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नही हुआ है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलर शिप को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान सरखेड़ी ।। का डीलर है। जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का अवलोकन किये व निर्णय में उल्लेख किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 17.02.2021 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कानून न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अटेचमेन्ट डीलर को खाद्य सामग्री जमा करादी है इससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नही हुआ है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलर शिप को बहाल किया जावे।

पेरोकार रसद ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार सरखेड़ी ।। ने प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उचित मूल्य दुकान किसी अन्य उ0मू0 दुकानदार के साथ अटेच करने का निवेदन किया गया था। जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर प्रर्वतन निरीक्षक को दोनों डीलर्स के मध्य अवशेष स्टाक हस्तांतरण करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अटेच स्टॉक का हस्तातंरण नहीं करने पर निलम्बित एफ0पी0एस0 डीलर को दिनांक 21.08.2020,16.09.2020, को नोटिस दिया गया। निलम्बित उ0मू0 दुकानदार द्वारा दिनांक: 17.09.2020 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रा0पत्र प्रस्तुत कर स्टॉक को 15.10.2020 तक जमा कराने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

तत्पश्चात 23.09.2020 ,15.10.2020, 03.11.2020 से बार बार नोटिस दिये गए किन्तु अवशेष स्टॉक जमा नहीं कराया गया जिस पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के पर्याप्त मौके देने के पश्चात प्राधिकार पत्र को दिनांक 17.02.2021 को निरस्त कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय उचित है, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि उचित मूल्य दुकानदार सरखेड़ी ।। ने प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उचित मूल्य दुकान किसी अन्य उ0मू0 दुकानदार के साथ अटेच करने का निवेदन किया गया था। जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर प्रवर्तन निरीक्षक को दोनों डीलर्स के मध्य अवशेष स्टाक हस्तांतरण करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अटेच डीलर को स्टॉक का हस्तातंरण नहीं करने पर निलम्बित एफ0पी0एस0 डीलर को दिनांक 21.08.2020,16.09.2020, को नोटिस दिया गया। निलम्बित उ0मू0 दुकानदार द्वारा दिनांक: 17.09.2020 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रा0पत्र प्रस्तुत कर स्टॉक को 15.10.2020 तक जमा कराने का निवेदन किया। तत्पश्चात 23.09.2020 ,15.10.2020, 03.11.2020 से बार बार नोटिस दिये गए किन्तु अवशेष स्टॉक जमा नहीं कराया गया। सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को लम्बी अवधि तक स्टॉक हस्तान्तरित नही किया गया जिस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक को निर्देश दिये गये व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करवाने पर दिये गये नोटिस में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि निलम्बित डीलर द्वारा स्टॉक का हस्तान्तरण पूर्व में ही किया गया था व अवशेष केरोसीन की राशि की कीमत भी जमा करवाई जा चुकी है इस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करवाई जा सकती। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्वास्थ्य कारणों से दिये गये प्रा0पत्र पर उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया किन्तु उसके द्वारा अवैधानिक रुप से अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण सम्बन्धित डीलर को लम्बे समय तक कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी नही किया गया निलम्बित कर अपीलान्ट को दिये गये नोटिसों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 08 माह पश्चात तक भी अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण नही किया जाना साबित है । खाद्य एंवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा आदेशों के कम में निलम्बन के पश्चात 90 दिन के अन्दर जांच पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जानुबूझ कर जवाब अधीनस्थ जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने, 08 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण करने पर ही प्रकरण संख्या– 44/2020 में निर्णय दिनांक 17.02.2021 पारित किया गया है जो नियमानुसार विधि संगत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट अनियमितता का दोषी पाया जाता है। 03 माह की अवधि में निस्तारण में देरी जिला रसद अधिकारी के स्तर से नही की गई बल्कि अपीलान्ट के खुद के जवाब नही देने व सामग्री नही लोटाने के कारण हुई है। जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 07.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला कलक्टर
झालावाड़